पेज संख्या 1/4

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 27/2019

अपीलांट

1. लालाराम पुत्र जगाजी, उम्र बालिग।
2. डुगाराम पुत्र जगाजी, उम्र बालिग
   जातियान चौधरी, निवासी बाली, तहसील बाली, ज़िला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

स्व. समाराम पुत्र जगाजी, जाति चौधरी, निवासी बाली के उत्तराधिकारीगण –

1. तीजोबाई पत्नी स्व. समारामजी, उम्र बालिग।
2. कमला पुत्री स्व. समारामजी, उम्र बालिग।
3. जीवाराम पुत्र स्व. समारामजी, उम्र बालिग।
4. पुष्पा पुत्री स्व. समारामजी, उम्र बालिग, जातियान चौधरी(सीरवी), निवासी बाली तहसील बाली, जिला पाली।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स की ओर से
2. श्री लक्ष्मण चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 01 से 04 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 20-07-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2005 बउनवान स्व. समाराम के कायम मुकाम बनाम लालाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरियें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बाली तहसील पाली के खसरा संख्या 1578 से लगाकर 1584 कुल खसरा संख्या 08 रकबा 4.47 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदारी घोषणा के आदेश प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के वाद का अपीलांट के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि अवश्य आई हुई है जो लादा, जगा, ओटा बेटा पोता चेला कौम सीरवी साकिन बाली के नाम राजस्व रेकर्ड में थी जो स्व. लादा जी ने जगा व ओटा के बीच बंट की जो राजस्व में अलग–अलग दर्ज हुई। उक्त कृषि भूमि को जगाराम व ओटाराम तथा लादा जी ने सामलाति रूप से खरीद की थी। जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्व. पिता जगाराम ने अपनी स्वअर्जित आय से हरकचन्द ओसवाल से खरीद की थी। स्व. जगाराम ने खरीद की हुई कृषि भूमि को अपनी स्वैच्छा से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयतनामा के द्वारा तकमील किया। वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार बाली द्वारा बाद जांच नामान्तरण संख्या 344 दिनांक 09.02.1996 को स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध समाराम ने जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपील संख्या 62/96 बअनवान अपीलांट समाराम बनाम रेस्पोडेन्ट लालाराम वगैरह पेश की जो दिनांक 27.02.1997 को निर्णित हुई व समाराम की अपील खारिज की गई तथा वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया गया। जबाव दावा प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2001 को विवादक बिन्दु(तनकीयात) कायम किये गये तथा वादी की ओर से बयानों को कलमबद्ध किये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से भी बयान दर्ज किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य बेचाणनामा जो हरकचन्द ने पंजीकृत करवाया था को जबाव दावे में शामिल किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बाली, तहसील पाली के खसरा संख्या 1578 से लगाकर 1584 कुल खसरा संख्या 08 रकबा 4.47 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज लादाराम पुत्र चेंनाजी की पुश्तैनी आराजी थी। उक्त आराजी ग्राम बाली के पुराने खसरा संख्या 477, 478, 478/1, 478/2, 479, 479/1, 27 कुल रकबा सवा चौपन बीघा चार बिस्वा सैटलमेंट पूर्व के अधिकार अभिलेखों जमाबंदी संवत् 2019 से 2022, 2023 से 2026 एवं संवत् 2027 से 2030 तक में लादा, जगा, ओटा बेटा पोता चेना, कौम सिरवी सा. खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त जमीन का बंटवाडा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 3/4

लादाजी के दोनों बेटो जगा एवं ओटा के बीच होने से नामा0 करण संख्या 655 दिनांक 28.12.1973 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग इन्द्राज किये गये। जिसके मुताबिक जगाराम पुत्र लादाजी एवं ओटाराम वल्द लादाजी के बहिस्सा बराबर रखी गई। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के दादा श्री लादाजी पुत्र चेनाजी के नाम इन्द्राज था तथा उक्त भूमि श्री लादाजी ने अपने जीवनकाल में अपनी खुद की कमाई व पुश्तैनी राशि से खरीद की थी, जिस पर कब्जा काश्त लादाजी के जीवनकाल में लादाजी का रहा, उसके बाद में उसे उत्तराधिकारीगण जगाराम एवं औटाराम का रहा है। आपसी बंटवाड़ा मे जगाराम व ओटाराम ने अपनी अलग–अलग भूमि प्राप्त की है। रेस्पो0 के दादा श्री लादाजी पुत्र चेनाजी की खरीद की थी तथा लादाजी की सम्पति में रेस्पो0 मृतक समाराम का जन्म लेते ही हक नियत हो गया था। एवं जिस कारण लादाजी की सम्पति को किसी भी तरह से अन्तरण करने का अधिकारी एकमात्र जगाराम जी को न ही था। विवादाग्रस्त कृषि भूमि में रेस्पो0 के साथ–साथ अपीलांटगण का भी जन्म लेते ही हक नियत हो गया था। जिस कारण इस कृषि भूमि को रेस्पो0 के हित के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से अन्तकरण करने का अधिकार नही था यहां तक कि जगाराम पुत्र लादाजी को भी यह हक पैदा नही होता था कि वादग्रस्त आराजी में वादी के हित को किसी प्रकार से अन्तरित करें। विवादग्रस्त सम्पति स्वर्गीय जगाराम की स्वअर्जित सम्पति नही थी। जबकि उक्त जमीन पुश्तैनी जमीन थी। जो को–पार्सनरी की सम्पति होने से अकेले जगाराम को उस सम्पति को किसी भी व्यक्ति के नाम किसी भी प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार ही नही था। जबकि अपीलांटगण ने पैतृक पुश्तैनी को–पार्सनरी की संपति में से रेस्पोडेन्टगण को कोई हक नहीं देने की नियत से स्वर्गीय श्री जगाराम जी के साथ मिलकर बाले–बाले बिना रेस्पोडेन्टगण को जानकारी दिये एक वसियतनामा तैयार करवाया हालांकि वसीयतनामा से रेस्पोडेन्टगण के पिता सहमत नहीं थे। लेकिन उनको गूमराह करते हुए वसीयतनामा लिखत कर उनके अंगुष्ठ निशान करवाये गये। तथा बाद में नोटेरी पब्लिक से उसको तस्दीक करवा दिया जो वसीयतनामा रजिस्टर्ड वसियतनामा नहीं है। तथा बिना रजिस्टर्ड वसियतनामा की प्रोबेट सक्षम न्यायालय द्वारा प्राप्त किये बिना उस वसयितनामा की कानूनन कोई मान्यता नहीं है। उक्त झूठे व अवैध वसीयतनामा को आधार बनाते हुए अपीलांट ने स्वर्गीय श्री जगाराम की कृषि भूमि जो जैर अपील आदेश में वर्णित है को अपने नाम करवा दिया। तथा राजस्व रेकर्ड में विवादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के नाम दर्ज हो जाने से रेस्पो0 को उक्त जमीन का खातेदार मानने से इनकार है। तथा हम रेस्पोडेन्टगण अपनी पुश्तेनी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जबकि कानूनन को–पार्सनरी सम्पति में रेस्पो0 का 1/3 हिस्सा स्वर्गीय जगाराम की कृषि भूमि में आता है लेकिन अपीलांटगण इस कृषि भूमि में हम रेस्पो0 को हक–हिस्सा व अधिकार देना नही चाहते है। रेस्पो0 का स्वर्गीय जगाराम की वादग्रस्त कृषि भूमि जो पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो हम रेस्पो0 का हक–हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांटगण केवल मात्र विवाद को बढाने हेतु प्रयासरत है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पोडेन्टस का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नाम भी इन्द्राज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (1) R.R.D. Aug., 2003 Jethu Singh v/s Bhanwar Singh & Ors. पेज संख्या 415 से 417 तक।

(2) R.R.D. 14.09.2017 Ravindra pal Singh & anr. V/s L.Rs. Narvindra Singh & ors-(125). पेज संख्या 588 से 592 तक।

(3) RRT 2008, Gopal Singh vs. Gaj Singh & Ors. पेज संख्या 135 से 137 तक।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। एवं साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश दलीलो पर भी मनन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बाली तहसील पाली के खसरा संख्या 1578 से लगाकर 1584 कुल खसरा संख्या 08 रकबा 4.47 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदारी घोषणा के आदेश प्रदान किये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सभी बिन्दुओ पर तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत होता है। निर्णय में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2005 बउनवान स्व. समाराम के का. मु. बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2019 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20-07-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
20-7-2021